

5KMU/G/2993/04

2/11/04

पत्रांक-5/स1-16/2004शि. - 1323  
मानव संसाधन विकास(उ0शि0)विभाग, झारखण्ड।

प्रेषक,

श्री गणेश प्रसाद,  
सरकार के उप सचिव, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुल सचिव,  
सिद्धो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

29-10-2004  
रांची, दिनांक

विषय:- देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एवं एजुकेशन रिसर्च, बम्पास टाउन, बी0 देवघर(डिपसर) को बी0एड0 पढ़ाने हेतु संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस0 के0 एम0 यू0/जी0/670/04, दिनांक-24.8.04 एवं एस0 के0 एम0 यू0/जी0/845/04, दिनांक-22.9.04 के प्रसंग में निदेशानुसार राखित करना है कि राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित संस्थान को मात्र अकादमिक सत्र 2004-05 के लिए एन0सी0टी0इ0 द्वारा प्रावधानिक शर्तों एवं निम्नलिखित शर्तों के साथ उसके नाम के सामने अंकित सीटों की संख्या के साथ बी0एड0 पढ़ाने हेतु संबंधन प्रदान करने की कृपा की गई है।

क्रमांक	संस्थान का नाम	विठ्ठि का नाम	एन0सी0टी0इ0 प्राप्त मान्यता राखी आदेश संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एड एजुकेशन रिसर्च, बम्पास टाउन, बी0 देवघर(डिपसर)	सिद्धो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	पत्रांक-ई0आर0सी0/7-46 (ई0आर0-46.6.4) /2004/20944, दिनांक-12.7.04	100

2. उक्त संस्थान को इस शर्त के साथ संबंधन प्रदान की जाती है कि संस्थान सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय सुरक्षित कौष में राशि जमा कर दिया है तथा विश्वविद्यालय इसकी संपुष्टि करेगा।

3. उक्त संस्थान विश्वविद्यालय के सभी नियमों एवं संकल्पों का अनुपालन करेगा।

4. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रांची को दी जा रही है।

विश्वविद्यालय,

(गणेश प्रसाद)

सरकार के उप सचिव, उच्च शिक्षा।

सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

प्राप्तिलिपि: सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यार्थी प्रैषिति।  
इस सूचना के साथ कि देवसंघ इन्स्टीच्यूट प्रौफेशनल स्टडीज एवं एजुकेशनल रिसर्च, बम्पास टाउन, बी0 देवघर(डिपसर) ने विश्वविद्यालय में सुरक्षित कौष की राशि जमा कर दिया है।

- प्राप्तिलिपि: सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यार्थी प्रैषिति।  
इस सूचना के साथ कि देवसंघ इन्स्टीच्यूट प्रौफेशनल स्टडीज एवं एजुकेशनल रिसर्च, बम्पास टाउन, बी0 देवघर(डिपसर) ने विश्वविद्यालय में सुरक्षित कौष की राशि जमा कर दिया है।
- सरकार के उप सचिव, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विभाग, झारखण्ड, रांची।
- निदेशक, उच्च शिक्षा, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची।
- कूलपति/प्रृति कूलपति के निजी सहायक, सिक्कामुखीविवि, दुमका को, इस अनुरौद्ध के साथ कि कूलपति/प्रृति कूलपति के समक्ष अवलोकनार्थी रहें।
- सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय के सभी पदाधिकारी
- रक्षी संचिका।

10/11/04  
कुलसचिव  
सिक्कामुखीविवि, दुमका।

मुख्य सचिव

प्रेषक,

श्री गणेश प्रसाद,  
 सरकार के उप सचिव, उच्च शिक्षा।

सेवा में,

कुल सचिव,  
 सिद्धो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका।

रॉची, दिनांक 29-10-2004

विषय:-

देवसंघ इंस्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एवं एजुकेशन रिसर्च, बम्पास आउन, बी0 देवघर(डिपसर) को बी0एड0 पढ़ाने हेतु संबंधन प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस0 के0 एम0 यू0/जी0/670/04, दिनांक-24.8.04 एवं एस0 के0 एम0 यू0/जी0/845/04, दिनांक-22.9.04 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा अधोलिखित संस्थान को गात्र अकादमिक सत्र 2004-05 के लिए एन0सी0टी0ई0 द्वारा प्रावधानिक शर्तों एवं निम्नलिखित शर्तों के साथ उसके नाम के सामने अंकित सीटों की संख्या के साथ बी0एड0 पढ़ाने हेतु संबंधन प्रदान करने की कृपा की गई है।

क्रमांक	संस्थान का नाम	विठि विठि का नाम	एन0सी0टी0ई0 प्राप्त मान्यता संबंधी आदेश संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	देवसंघ इंस्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड एजुकेशन रिसर्च, बम्पास आउन, बी0 देवघर(डिपसर)	सिद्धो-कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	पत्रांक-ई0आर0सी0/7-46 (ई0आर0-46.6.4) /2004/20944, दिनांक-12.7.04	100

2. उक्त संस्थान को इस शर्त के साथ संबंधन प्रदान की जाती है कि संस्थान सुनिश्चित करेगा कि विश्वविद्यालय सुरक्षित कोष में राशि जमा कर दिया है तथा विश्वविद्यालय इसकी संपुष्टि करेगा।

3. उक्त संस्थान विश्वविद्यालय के सभी नियमों एवं संकल्पों का अनुपालन करेगा।
4. इसकी सूचनां निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, रॉची को दी जा रही है।

विश्वविद्यालय,

(गणेश प्रसाद)  
 १०/०५

सरकार के उप सचिव, उच्च शिक्षा।

संचिका सं0- : 5/स 1-16/2004 शि0:.....150...../  
झारखण्ड सरकार,  
मानव संसाधन विकास (उच्च शिक्षा ) विभाग ।

प्रेषक,

सीताराम बारी,  
सरकार के उप सचिव ।

सेवा में,

कुल सचिव,  
सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका ।

रॅची, दिनांक - 20/2/07

विषय:- देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एजुकेशन रिसर्च, बम्पास टाउन बी0 देवधर (डिपसर) को बी0 एड0 प्रशिक्षण हेतु स्थायी संबंधन प्रदान करने के सम्बन्ध में ।

महाशय,


उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक एस0के0एम0य०/जी0/918/06 दिनांक 14.8.06 के प्रसंग में निदेशानुसार सूचित करना है कि राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय की अनुशंसा पर अधोलिखित संस्थान को अकादमिक सत्र 2005-06 से एन0सी0ई0टी0 द्वारा प्रावधानित शर्तों के साथ उसके नाम के सामने अंकित सीटों की संख्या के लिए बी0 एड0 प्रशिक्षण हेतु स्थायी संबंधन अधोलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करने की कृपा की गई है :-

क्रमांक	संस्थान का नाम	विश्वविद्यालय का नाम	एन0सी0ई0टी0 से प्राप्त मान्यता संबंधी आदेश संख्या	सीटों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एजुकेशन रिसर्च, बम्पास टाउन बी0 (डिपसर)(देवधर)	सिदों कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका	पत्रांक ई0आर0सी0/7-46 (ई0आर0- 46.6.4) /2004/2094/ दिनांक 12-7-2004	100

2. उक्त संस्थान को इस शर्त के साथ संबंधन प्रदान की जाती है कि संस्थान प्रबंधन निश्चित रूप से नामांकन के मामले में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नामांकन प्रक्रिया एवं आरक्षण नीति का पूर्ण अनुपालन करेंगे। समुचित संख्या में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर अनारक्षित कोटि के उम्मीदवारों से सीट भरने के पूर्व राज्य सरकार से लिखित सहमति प्राप्त कर लेंगे।

3. उक्त संस्थान विश्वविद्यालय के सभी नियमों एवं संकल्पों का अनुपालन करेगा ।
4. इसकी सूचना निदेशक, उच्च शिक्षा झारखण्ड, रॉची को दी जा रही है ।

विश्वासभाजन



( सीताराम बारी )

सरकार के उप सचिव ।

# सिद्धो कानून मुर्मू विश्वविद्यालय

दुमका - 814 101

फँसी : 06434 - 222495

फैक्स : 06434 - 223006



स्मार पत्र - I

दिनांक 27/7/16

पत्रांक SKMUR-G/1043/16

सेवा मे

सरकार के संयुक्त सचिव  
उच्च एंव तकनीकी शिक्षा विभाग  
(उच्च शिक्षा निदेशालय)  
झारखण्ड सरकार, राँची

विषय: देवसंघ इस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एंड एजुकेशनल रिसर्च (डिपसर)  
देवसंघ, देवघर में सत्र 2015-2017 से दो वर्षीय बी.एड. कोर्स में स्थायी  
संबंधन के संबंध में।

प्रसंग: आपका पत्रांक 5/स.1-08/2016-824 दिनांक 30/3/16

महाशय,

निर्देशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में निर्देशित कमियों  
पर आपका ध्यान निम्न प्रकार आकृष्ट करना चाहूँगा –

1. डिपसर देवघर को एक वर्षीय बी.एड. कोर्स के लिए स्थायी संबंधन प्राप्त है। NCTE Regulation 2014 के अनुसार सत्र 2015-17 से 200 सीटों के लिए NCTE ने सशर्त permission प्रदान किया है। सरकार के पत्र सं. 5/वि.1. 79/2014/1138 दिनांक 10/5/16 को ध्यान में रखते हुए NCTE Regulation 2014 के Notification No. F.51-1/2014-NCTE (N.S.) के Clause 7 (subclause 16) एवं 8(10) के तहत स्थायी संबंधन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन में विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी संबंधन की अनुशंसा की गई।
2. निरीक्षण कार्य का videography का C.D. संलग्न है।
3. NCTE के पत्रांक 32749 दिनांक 31/5/15 में अंकित शर्तों का अनुपालन प्रतिवेदन संस्था द्वारा उपलब्ध कराया गया है। (प्रतिवेदन संलग्न)
4. निरीक्षण प्रतिवेदन पर माननीय कुलपति का आदेश प्राप्त है।
5. AISHE पर डाटा अपलोड है। (प्रमाण पत्र संलग्न है)
6. संस्थान को NAAC से Accreditation प्राप्त है। IQAC Cell गठित है। प्रमाण पत्र संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि संलग्न प्रतिवेदन पर विचार करते हुए उचित कार्रवाई करते हुए 200 सीटों के लिए स्थायी संबंधन पत्र निर्गत करने की कृपा करेंगे।

१५/७/१६

ग.ल.पाठ्य  
कुलसचिव

Registrar  
S.K.M.University, Dumka

पत्रांक : ५/स.१-०८/२०१६...../

झारखण्ड सरकार

उच्च, तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग,

(उच्च शिक्षा निदेशालय)

प्रेषक,

डेविड दानिएल तिकीं,  
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

कुलसचिव,  
सिदो-कान्हु मुमूर्ख विश्वविद्यालय, दुमका।

राँची, दिनांक :...../...../.....

विषय:- देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, देवघर को शैक्षणिक सत्र 2015-17 से दो वर्षीय बी0एड0 कोर्स में 100 अतिरिक्त सीटें पर नामांकन की स्वीकृति के संबंध में।

प्रसंग:- आपका पत्रांक-SKMU/R-G/1043/16 दिनांक-27.07.2016

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि NCTE, ERC भुवनेश्वर के पत्रांक-2094 दिनांक-12.07.2004 के द्वारा देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, देवघर को 2004-05 से 100 सीटें के लिए Recognition प्रदान किया गया था। NCTE, ERC के पत्रांक-13692 दिनांक-25.08.2012 के द्वारा इस संस्थान को अतिरिक्त 100 सीटें के लिए अनुमति प्रदान किया गया। NCTE Regulation, 2014 के तहत भी इस संस्था को सत्र 2015-17 से 200 सीटें के लिए अनुमति प्रदान की गयी है।

NCTE पूर्वी क्षेत्रीय कमिटी, भुवनेश्वर के उपर्युक्त पत्र के आलोक में कुलसचिव, सिदो-कान्हु मुमूर्ख विश्वविद्यालय, दुमका के पत्रांक-434/16 दिनांक-07.04.2016 एवं स्मार पत्रांक-1043/16 दिनांक-27.07.2016 द्वारा की गयी अनुशंसा के समीक्षोपरान्त कंडिका-2 में अंकित शतर्तों के अधीन देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, देवघर को सत्र 2015-17 से 100 अतिरिक्त सीटें पर नामांकन हेतु स्वीकृति प्रदान किया जाता है।

## 2. शतर्तों -

- (क) राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद् पूर्त क्षेत्रीय ट्रान्सिडर के जिला आदेश के द्वारा संबंधित संस्था को प्रस्तुति प्रदान की गयी है, उनमें निहित सभी शतर्तों को महाविद्यालय सतत पूरा करता रहेगा।
- (ख) एन०सी०टी०ई० द्वारा निर्धारित 200 शिक्षण दिवस, जिसमें 40 दिन शिक्षण अभ्यास भी समिलित है, का पालन महाविद्यालय सुनिश्चित करेगा और उसके उपरांत ही विश्वविद्यालय, महाविद्यालय के छात्र-छात्राओं को विश्वविद्यालय की परीक्षा में समिलित होने की अनुमति देगा।
- (ग) छात्रों के नामांकन में एन०सी०टी०ई०, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित मापदण्ड को पूर्णतः पालन किया जाए। विश्वविद्यालय यहं भी सुनिश्चित करेगा कि विभागीय संकल्प 1382 दिनांक- 20.05.04 एवं इस संदर्भ में निर्गत अनुवर्ती परिपत्रों द्वारा नामांकन संबंधी निर्धारित प्रक्रिया को महाविद्यालय पूरा करता है तथा नामांकन में आरक्षण नियमों का अक्षरशः पालन करता है।
- (घ) विश्वविद्यालय यह सुनिश्चित करने के उपरांत कि महाविद्यालय को एन०सी०टी०ई० द्वारा प्रस्तुति एवं राज्य सरकार के द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है, संबंधन हेतु अधिसूचना निर्गत करेगा।
- (ङ.) महाविद्यालय यदि निर्धारित मानकों का पूर्ण पालन नहीं कर रहा हो तो विश्वविद्यालय उसकी मान्यता रद्द करने हेतु एन०सी०टी०ई० से सीधे अनुरोध करेगा।

विश्वासभाजन,

५०/-

(डेविड दानिएल तिकीं)

सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-५/स.१-०८/२०१६-

1981

राँची, दिनांक-...../...../.....

०१/०९/२०१६

प्रतिलिपि:- निदेशक, उच्च शिक्षा, झारखण्ड, राँची/सचिव, देवसंघ इन्स्टीच्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज एण्ड एजुकेशनल रिसर्च, देवघर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

३/१२५  
१.९.१६

(डेविड दानिएल तिकीं)

सरकार के उप सचिव।